वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांकः डी0एस0डब्ल्यू/542/2023–24
प्रेषक,

दिनांक : 13.04.2023

अधिष्ठाता छात्र कल्याण
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय
जौनपुर।

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या
सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय
जौनपुर।

विषयः– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कतिपय कियोस्क आधारित पेमेंट बैंक में छात्रों के खाते नहीं खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशक (उ0शि0) उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज के पत्र संख्या–डिग्री विकास/72–74/2023–24 दिनांक 12.04.2023 एवं निदेशालय, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–सी–5620/स0क0/शिक्षा–अ/3/490/2022–23 लखनऊ दिनांक 29 मार्च, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कतिपय कियोस्क आधारित पेमेंट बैंक (फिनो बैंक, एयरटेल बैंक तथा पे0टी0एम0 बैंक) में छात्रों के खाते नहीं खोले जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि अपने महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को कियोस्क आधारित पेमेंट बैंक यथा फिनो बैंक, एयरटेल बैंक तथा पे0टी0एम0 बैंक में खाते न खोले जाय तथा अपने आधार से उक्त बैंक खातों से सीडिंग न कराये जाने हेतु आदेशित/निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

Adnnya
14/04/23
(प्रो0 अजय द्विवेदी)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपिः–

1–जिला समाज कल्याण अधिकारी जौनपुर, गाजीपुर के सूचनार्थ।
2–संयुक्त निदेशक, (उ0शि0) उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज के सूचनार्थ।
3–संयुक्त निदेशक, दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति, समाज कल्याण निदेशालय, कल्याण भवन, 3 प्रयागराज रोड, लखनऊ के सूचनार्थ।
4–निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
5–निजी सहायक कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
6–श्री अजीत सिंह, सहायक कुलसचिव, छात्रवृत्ति के सूचनार्थ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

कार्यालय निदेशक(उ0शि0) उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज ।

पृष्ठांकन संख्या : डिग्री विकास/ 72-74 / 2023-24 दिनांक- 12/ 04/ 2023

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निदेशालय, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ के उक्त पत्र दिनांक- 29 मार्च, 2023 का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें -

1- कुलसचिव, समस्त राज्य/ निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश ।

2- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

3- समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश ।

12.04.2023

डॉ0(सुनन्दा चतुर्वेदी)
संयुक्त निदेशक,(उ0शि0)
कृते-शिक्षा निदेशक,(उ0शि0)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

स्पीड पोस्ट

ई-मेल / महत्वपूर्ण

ई-6/मेल

निदेशालय, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश

पत्रांक सी-5620 /स0क0/शिक्षा-अ/3/490/2022-23

लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2023

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उ0 प्र0।

विषय:- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कतिपय कियोस्क आधारित पेमेंट बैंक में छात्रों के खाते नही खोले जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक निदेशालय पत्रांक सी-4874 दिनांक 21.02.2023 तथा सी-5051 दिनांक 28.02.2023 जोकि समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को सम्बोधित तथा आपको पृष्ठांकित है, का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रदेश के कतिपय जनपदों में कतिपय शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं में की जारी घोटाले की जाँच के क्रम में मास्टर डाटा मे सम्मिलित शिक्षण संस्थानों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन, संस्थानों को सक्षम स्तर से प्राप्त मान्यता प्रमाण-पत्र में उल्लिखित नाम व अन्य विवरण तथा मास्टर डाटा मे सम्मिलित सम्बन्धित संस्थान का शत-प्रतिशत मिलान/सत्यापन के साथ-साथ जनपदीय अधिकारियों एवं सहायक विकास अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी/सुपरवाइजर की टीम से शिक्षण संस्थानों व छात्रों की पाठ्यक्रमों मे उपस्थिति का सत्यापन शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

शासन के पत्रांक 797/26-3-2023 दिनांक 13.03.2023 द्वारा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रदेश के 22 जनपदों के कतिपय शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की योजनाओं में घोटालों की जाँच के संबंध में प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 06.03.2023 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु 4 में समस्त जनपदो में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित बैंक खाते को कियोस्क आधारित पेमेन्ट बैंक यथा फिनो पेमेन्ट बैंक, एयरटेल पेमेन्ट बैंक तथा पे0टी0एम0 बैंक में न खोले जाने तथा शिक्षण संस्थाओं के स्तर से छात्रों को अपने आधार नम्बर उक्त बैंकों के खाते में सीडिंग की कार्यवाही न कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद मे संचालित समस्त शिक्षण संस्थानों को यह अवगत करा दिया जाये कि उनके यहाँ अध्ययनरत छात्र द्वारा अपने बैंक खाते कियोस्क आधारित पेमेन्ट बैंक यथा फिनो पेमेन्ट बैंक, एयरटेल पेमेन्ट बैंक तथा पे0टी0एम0 बैंक में न खोला जाये तथा अपने आधार नम्बर को उक्त बैंक खातों से सीडिंग न कराया जाये।

संलग्नक-यथोक्त।

29/3/2023

(आर0 के0 सिंह)
संयुक्त निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।

(आर0 के0 सिंह)
संयुक्त निदेशक